क्रमांक– आदेश/2024/ 18

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

दिनांक– 02.04.2024

—:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय–आदेश ::—

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–14 सपठित धारा–15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निखिल सिंह, आर. जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली माह अप्रेल 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27.03.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

माह अप्रेल 2024

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	श्री रजनीश RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती	07.04.2024
2	सुश्री नीतू भारद्वाज RJS	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट करौली	21.04.2024

नोट– उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश दिनांक 27.03.2024 यथावत रहेगा।
निर्देश:–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

क्रमांक– 473

दिनांक:– 02.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली
2.श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3.संबंधित अधिकारी सर्व श्री.................................
4.सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारीयों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
5.प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
6.आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली